# प्रेस नोट

**दिनांक- 08.11.2023**

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**

**• थाना रूरा पुलिस व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों/खोया/वनस्पति घी का निर्माण करने में लिप्त व्यक्ति के विरुध्द कार्यवाही की गयी।**

**•अभियुक्त के पास से करीब 07 कुन्तल खोया बरामद हुआ जिसको मौके पर ही नष्ट कराया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर, रेन्ज कानपुर, श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 07.11.2023 को थाना क्षेत्र रूरा में थाना रूरा पुलिस व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों/खोया/वनस्पति घी का निर्माण करने में लिप्त व्यक्तियों के विरुध्द कार्यवाही करते हुए आगामी दीपावली के पर्व के दृष्टिगत खाद्य पदार्थो का निर्माण कर रहे अभियुक्त जयकरन पुत्र रामप्रसाद निवासी बीरपुर नकसिया थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र वर्ष 45 को ग्राम बीरपुर नकसिया से गिरफ्तार किया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके से उपलब्ध नकली खाद्य पदार्थों का नमूने संरक्षित कर एवं निर्मित अवैध नकली खोया करीब 7 कुन्तल नष्ट कराया गया। अभियुक्त उपरोक्त से बायलर प्लांट के लाईसेंस के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो बताया कि खोया निर्माण व बायलर प्लांट स्थापित करने का लाईसेंस नहीं है। जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गयी।

**गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण –**

जयकरन पुत्र रामप्रसाद निवासी बीरपुर नकसिया थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र वर्ष 45 ।

**बरामदगी विवरण -**

करीब 7 कुन्तल अपमिश्रित खोया जिसको मौके पर नष्ट किया गया।

**बरामद करने वाली टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल दुबे थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
3. श्री मनोज कुमार वर्मा सहायक आयुक्त खाद्य विभाग।
4. श्री सुबोध कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैथा जनपद कानपुर देहात।
5. श्री अनुराग सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
6. श्री शैलेश दीक्षित मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जनपद कानपुर देहात।